प्रेस नोट थाना पुवायाँ

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक-11.12.2025

"थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा थाने पर पंजीकृत आत्महत्या के लिए उकसाने से सम्बन्धित अभियोग में वांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अपराध रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, प्रभारी निरीक्षक थाना पुवायाँ के नेतृत्व में थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा वादी के पुत्र को आत्महत्या के लिए उकसाने से सम्बन्धित अभियुक्ता (मृतक की पत्नी) को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.11.2025 को वादी श्री करन सिंह पुत्र श्रीकेशन निवासी ग्राम भिलावा, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना पुवायाँ पर तहरीर देकर अवगत कराया गया कि 1- सरोजनी पुत्री इन्द्रपाल, 2- बब्लू पुत्र इन्द्रपाल, 3- अवधेश पुत्र इन्द्रपाल तथा 4- शिव सिंह पुत्र रामनरेश, निवासीगण ग्राम उदारा, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा मुकदमे में राजीनामा न करने पर वादी के पुत्र देवेश की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उक्त प्रकरण में थाना पुवायाँ पर मु0अ0सं0 846/25 धारा 103(1) बीएनएस, 2023 पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 103(1) बीएनएस को परिवर्तित कर धारा 108 बीएनएस किया गया। आज दिनांक 11.12.2025 को थाना पुवायाँ पुलिस को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 846/25 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता सरोजनी देवी पत्नी स्व0 देवेश कुमार पुत्री इन्द्रपाल सिंह यादव निवासी ग्राम उदारा थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर अपने घर पर मौजूद है, जिसे शीघ्रता करने पर पकड़ा जा सकता है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गयी तथा महिला उपनिरीक्षक द्वारा ग्राम उदारा स्थित उसके घर से अभियुक्ता सरोजनी देवी को बिना भागने का अवसर दिए पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने उपरोक्त नाम-पता सही बताया। अभियुक्ता को उसके अपराध धारा 108 बीएनएस से अवगत कराते हुए समय करीब 12:05 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा थाना पुवायाँ लाकर आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

सरोजनी देवी पत्नी स्व0 देवेश कुमार पुत्री इन्द्रपाल सिंह यादव(उम्र करीब 34 वर्ष) नि0 ग्राम उदारा थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक/समय-

ग्राम उदारा, थाना पुवायाँ से दिनांक 11.12.25 को समय करीब 12.05 बजे।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 846/25 धारा 108 बीएनएस थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी टीम का विवरण-

1.अपराध निरीक्षक राजेश कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

2.म0उ0नि0 मनीषा चौधरी थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर